# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| पत्रावली संख्या | प्रविष्टि दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| मैनुअल नं. 36/अपील/2024<br>( GCMS No. 2024/103 ) | 22.07.2024 | 15.12.2025 |

महेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र आनन्दीलाल जाति राजपूत,
निवासी इन्द्रा कोलोनी, नैनवां रोड बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी

– अपीलांट

बनाम

श्रीमती टीना कुमारी पत्नी नन्दसिंह पुत्री श्री शंकर सिंह जाति राजपूत
निवासी बिजौलिया, जिला भीलवाडा (राज.)
हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी, गेट नं.5 के सामने, नैनवां रोड, बून्दी

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.05.2024 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी, बून्दी

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री निखिल शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री हनुमान प्रसाद बैरागी, एडवोकेट।

## :: निर्णय ::

यह अपील अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या /2023 बउनवान महेन्द्र सिंह सोलंकी बनाम श्रीमती टीना कुमारी में पारित आदेश दिनांक 23.05.2024 से अप्रसन्न होकर माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत इस न्यायालय में पेश की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 36/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2024/103 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम,2007 की धारा 5, 23 के अन्तर्गत रेस्पोडेंट के विरूद्ध दिनांक 26.09.2023 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी के समक्ष इस आशय का पेश किया था कि प्रार्थी जनवरी 2020 में राजकीय सेवा से सेवानिवृत हुआ है। प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का एक आवासीय मकान इन्द्रा कोलोनी नैनवां रोड बून्दी में स्थित है, जिसे प्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय से बनाया है। प्रार्थी के दो पुत्र नन्दसिंह एवं बजरंगसिंह है, जिनमें से बजरंगसिंह प्रार्थी के साथ निवास नहीं करता है, लेकिन प्रार्थी के दूसरे पुत्र नन्दसिंह की पत्नी अप्रार्थीया टीना कुमारी अपने दोनों पुत्र विहान एवं गायु के साथ प्रार्थी के आवास पर निवास करती है। अप्रार्थीया टीना विवाह के बाद सन 2010 से ही प्रार्थी के मकान में रहते हुऐ प्रार्थी तथा उसकी पत्नी श्रीमती कृष्णा कंवर से गाली गलौच व मारपीट करती है, दुर्व्यवहार करती है, धमकियां देती है और प्रार्थी व उसकी पत्नी को कहती है कि तुम्हारा लडका तो नामर्द है उसमें तो दम ही नहीं है। अप्रार्थीया यह भी कहती है कि वह प्रार्थी व उसकी पत्नी व उसके पुत्र के विरूद्ध ऐसा केस दर्ज करवायेगी जिससे तुम जीवन भर सुलझ नहीं पाओगे। अप्रार्थीया अर्धनग्न अवस्था में मकान में घूमती है तथा अक्सर रात्रि में 12 बजे तक मकान के बाहर रहती है। अप्रार्थीया को जब रात्रि में बाहर जाने से मना किया जाता है तो वह प्रार्थी तथा उसकी पत्नी के साथ हाथापाई करती है तथा प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर घायल कर देती है। जिसके कई प्रकरण प्रार्थी तथा उसकी पत्नी ने पुलिस थाने में दर्ज करवा रखे है। लेकिन पुलिस ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। अप्रार्थीया ने प्रार्थी व उसकी पत्नी की कभी भी कोई सेवा सुश्रुषा नहीं की, न ही कभी प्रार्थी अथवा उसकी पत्नी के लिए भोजन बनाकर दिया है। प्रार्थी व उसकी पत्नी को अलग ही भोजन बनाकर खाना पडता है। प्रार्थी व उसकी पत्नी एवं पुत्र नन्दसिंह अप्रार्थीया के कृत्यों से भयभीत होकर अपने ही घर में डरे व सहमें रहते है। प्रार्थी व उसकी पत्नी व पुत्र की स्वतंत्रता प्रायः समाप्त हो गई है। प्रार्थी सदमे की स्थिति में है, प्रार्थी व उसकी पत्नी बी.पी. के पेशेन्ट है जो अप्रार्थीया की प्रताडना को सहन करने की स्थिति में नहीं है, उपरोक्त कारणों के आधार पर प्रार्थी अप्रार्थीया को अपने मकान में नहीं रखना चाहता है। प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है, उपरोक्त मकान स्वअर्जित आय से निर्मित है तथा अप्रार्थीया को उसकी नाबालिग संतानों के साथ मकान से बेदखल करना चाहता है। उक्त मकान से बेदखली के क्रम में प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 23.05.2024 को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधि. 2007 के तहत पोषणीय नहीं होकर पारिवारिक विवाद, कब्जा विवाद से संबंधित होने से खारिज कर दिया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.09.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, प्रार्थना पत्र को बिना दर्ज किये, बिना नोटिस जारी किये, बिना आर्डरशीट चलाये खारिज कर दिया गया, जो प्रोपर आदेश की तारीफ में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रोपर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया, जिससे वह अपनी पत्नी को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनवा सका। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जावें तथा रेस्पोडेंट मय उसकी नाबालिग सन्तानों को अपीलांट के इन्द्रा कॉलोनी नैनवां रोड के मकान से बेदखल करने के आदेश प्रदान करे।

अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलांट राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर है तथा उसके पास आय के अन्य स्त्रोत भी है। इस प्रकार अपीलांट अपना एवं अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में पूरी तरह से सक्षम है, जबकि रेस्पो. के पति को भी अपीलांट ने अपने कब्जे में कर रखा है। रेस्पो. के पास स्वयं के लिए रोजी–रोटी का कोई साधन नहीं होने से उसको अपना और दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए अन्य घरों में झाडू–पोछा व बरतन साफ करने पड रहे है। रेस्पों. एवं उसके दोनों बच्चें अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे है जिनको बेदखल कर देने से वह बेघर हो जायेगे। अपीलांट का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था, जो उचित है। ऐसे में अपील अपीलांट खारिज की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांट द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2024 को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पेरा सं. 1 में प्रार्थी जनवरी,2020 में राजकीय सेवा से सेवानिवृत होना अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीया को उसकी नाबालिग सन्तानों के साथ ही प्रार्थी की स्वअर्जित आय से निर्मित मकान से बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट में अंकित है कि प्रार्थी द्वारा उसे कोई आर्थिक समस्या के बारे में नहीं बताया है, अप्रार्थिया

जिला कलेक्टर, बून्दी

एवं उसके पुत्रों को मकान से बेदखल करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है तथा अप्रार्थियां के आर्थिक स्त्रोत के बारे में नहीं बताया है। प्रार्थना पत्र अप्रार्थियां व उसके बच्चो को मकान से बेदखल करने से संबंधित है जिसके लिए प्रार्थी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। प्रार्थना पत्र मूल रूप से पारिवारिक विवाद, मकान का कब्जा विवाद से संबंधित होने से न्यायालय में पोषनीय नहीं होना अंकित किया जाकर अस्वीकार किया गया है।

जहां तक अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश को इस अपील में चुनौती दिये जाने का प्रश्न है तो अपीलांट के भरण पोषण हेतु प्रथमतः उसका जीवित पुत्र उत्तरादायी है, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी के यहां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पुत्र के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया और न ही पुत्र को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पुत्रबधु रेस्पो. के विरूद्ध पेश किया गया है, जिसके आर्थिक स्त्रोत के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया और न ही उसकी आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये है। वैसे भी अपीलांट ने स्वयं को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होना अंकित किया है, तथा अपीलांट को अपने भरण पोषण के लिए किसी प्रकार की आर्थिक समस्या हो, ऐसा प्रार्थना पत्र एवं अपील में कहीं भी अंकित नहीं किया है। इससे यह भली भांति स्पष्ट है कि अपीलांट को अपने जीवनयापन एवं भरण पोषण में किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या नहीं है। प्रथमदृष्टया मामला पारिवारिक सम्पत्ति से रेस्पो. को बेदखल करने को लेकर होना ज्ञात होता है, जो कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत पोषनीय नहीं है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट के दौरान ग्राहयता की स्टेज पर पारित आदेश दिनांक 23.05.2024 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों दृष्टिगत रखते हुये उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2024 यथावत रखते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी